लोक सभा / राज्य सभा के पटल पर
रखे जाने वाले कागजात

अधिप्रमाणित

परशोत्तम रुपाला
राज्य मंत्री
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

(परशोत्तम रुपाला)
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री

वर्ष 2017-18 के दौरान सरकार द्वारा राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र (एन.सी.सी.डी.) के कार्यक्रमों की समीक्षा

एन.सी.सी.डी. को दिनांक 27-1-2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था और सोसायटी के सदस्यों के रूप में हितधारकों के साथ सार्वजनिक-निजी-भागीदारी(पी.पी.पी.) मोड में संचालित करने के लिए संरचित किया गया था । दिनांक 09-2-2012 को कैबिनेट के अनुमोदन के बाद कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने समान धनराशि का कॉर्पस स्थापित करने हेतु रु.25 करोड़ का एक बार(वन टाइम) का अनुदान प्रदान किया । ताकि एन.सी.सी.डी. द्वारा ब्याज से आय और प्रदान की गई सेवाओं के लिए ली गई फीस और प्रभारों से उत्पन्न अन्य आय का इसके प्रशासनिक, कार्मिकों तथा अन्य लागतों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाए, जैसा कि इसे शासी परिषद द्वारा तय किया गया है । एन.सी.सी.डी की इस तरह संरचना की गई कि सरकार पर इसके संचालन और रखरखाव के लिए आगे कोई लागत का बोझ नहीं पड़ता है ।

वित्त वर्ष 2017-18 के खातों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय द्वारा नामिकागत चार्टर्ड एकाउंटेंट मेसर्स ए.पी.एन. एंड एसोसिएट्स द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी । वित्त वर्ष 2017-18 हेतु आय एवं व्यय लेखा का सार निम्नलिखित है :

मद	रुपये लाख में
ब्याज और अन्य से आय	258.42
घटाएं : प्रशासनिक व्यय	97.21
व्यय से अधिक आय	161.21
धारा 11 के अंतर्गत सकल आय की 15% छूट	38.76
अगले 5 वर्षों हेतु 'सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता'के उद्देश्यों के अलावा शेष राशि	122.45
कुल	161.21

एन.सी.सी.डी को जुलाई, 2015 में आयकर अधिनियम की धारा 12ए.ए. के तहत 'सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता' के रूप में पंजीकृत किया गया था, जो इसे प्रत्येक वर्ष अपनी सकल आय के 15% के लिए आयकर से छूट का अधिकार देता है। शेष 85% सकल आय में से, अनपेक्षित राशि कर के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि अधिनियम की धारा 11 (2) के तहत पांच साल के साथ भविष्य के खर्चों के

एन.सी.सी.डी को दिनांक 01-04-2016 से प्रभावी कोल्ड चेन ज्ञान प्रसार के माध्यम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर सेवाकर से भी छूट दी गई थी ।

श्री पी. शकील अहमद, संयुक्त सचिव (एम.आई.डी.एच) दिनांक 23-10-2015 से दिनांक 22-9-2017 तक निदेशक, एन.सी.सी.डी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। श्री दिनेश कुमार, संयुक्त सचिव (एम.आई.डी.एच) ने दिनांक 10-10-2017 से निदेशक, एन.सी.सी.डी का अतिरिक्त प्रभार संभाला। कोल्ड-चेन उद्योग के विशेषज्ञ श्री पवनेष कोहली फरवरी, 2014 से एन.सी.सी.डी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं । निदेशक, एन.सी.सी.डी के अतिरिक्त, एन.सी.सी.डी में दिनांक 31-3-2017 तक आठ कार्मिकों की जनशक्ति(मैनपॉवर) थी ।

गतिविधियों और उपलब्धियों की समीक्षा

- एन.सी.सी.डी किसानों की आय दोगुनी करने वाली अंतर- मंत्रालयी समिति के लिए एक ज्ञान भागीदार था । इस वर्ष इसके प्रयासों का एक बड़ा हिस्सा इस समिति के कार्यों विशेष रूप से एग्री-लॉजिस्टिक, विपणन, सेकेंडरी कृषि, विस्तार सेवाओं, संरचनात्मक सुधारों और शासन के लिए समर्पित था । समिति ने एन.सी.सी.डी के योगदान की सराहना की ।
- पिछले वर्षों की निरंतरता में 6वें वार्षिक एन.सी.सी.डी सम्मेलन का चेन्नई में 17-18 नवंबर,2017 को आई.सी.ई एक्सपो में आयोजन किया गया था । राज्य सरकार के अधिकारियों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया ।
- कोल्ड-चेन प्रबंधन प्रशिक्षण -एन.सी.सी.डी ने उद्योग / राज्य सरकारों के हितधारकों के प्रशिक्षण के लिए सेमफ्रॉयड में 5 दिवसीय आवासीय पाठ्यक्रम हेतु इंडो-फ्रांस जे.ए.डब्ल्यु.जी के तहत सहयोग के हिस्से के रूप में एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया गया था । वर्ष 2017-18 में तीन प्रशिक्षण सत्रों में 28 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया था । यह पाठ्यक्रम भारत-फ्रांस सहयोग के रूप में फ्रांस सरकार द्वारा सह-वित्तपोषित है ।
- एन.सी.सी.डी के साथ साझेदारी में, कोल्ड-चेन में परिचालन उत्कृष्टता के लिए एफ.ए.सी.ई-सी.आई.आई द्वारा कोल्ड-चेन पुरस्कारों(अवार्ईस) की दूसरी सिरीज प्रदान की गई । माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने पुरस्कार समारोह का आयोजन किया । यह कोल्ड-चेन उद्योग में उत्कृष्टता के लिए सबसे अधिक मांग वाला पुरस्कार बन गया है।।
- कोल्ड-चेन प्रौद्योगिकी में क्षमता निर्माण - कोर्स कॅरिकुलम को इन-हाउस विकसित किया गया है और इसे सरकारी अधिकारियों और निजी क्षेत्र के लाभ के लिए लागू किया गया है । वर्ष 2017-18 में 4 सत्रों में 3 दिवसीय आवासीय पाठ्यक्रम में 29 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है ।
- एन.सी.सी.डी ने फलों के पकने पर क्षमता निर्माण और उद्यमी विकास कार्यशालाओं का आयोजन जारी रखा और इस वर्ष 16 कार्यशालाएं आयोजित की गई ।
- कोल्ड-चेन विकास पर सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एन.सी.सी.डी ने सदस्य संस्थानों - सी.आई.आई और पी.एच.डी. के साथ जागरूकता कार्यक्रमों को जारी रखा और वर्ष 2017-18 में 12 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया ।

लोक सभा / राज्य सभा के पटल पर
रखे जाने वाले कागजात

अधिप्रमाणित

परशोत्तम रूपाला
राज्य मंत्री
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(परशोत्तम रूपाला)
कृषि भवन, नई दिल्ली
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र (एन.सी.सी.डी.) के वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखों को लोक सभा एवं राज्य सभा के पटल पर प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

एन.सी.सी.डी. को दिनांक 27-01-2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था और सोसायटी के सदस्यों के रूप में हितधारकों के साथ सार्वजनिक-निजी-भागीदारी(पी.पी.पी.) मोड में संचालित करने के लिए संरचित किया गया था। दिनांक 09-02-2012 को कैबिनेट के अनुमोदन के बाद कृषि और सहकारिता विभाग को समान धनराशि का कॉर्पस स्थापित करने हेतु रु. 25 करोड़ का एक बार(वन टाइम) का अनुदान प्रदान किया । ताकि एन.सी.सी.डी. द्वारा ब्याज से आय और प्रदान की गई सेवाओं के लिए ली गई फीस और प्रभारों से उत्पन्न अन्य आय का इसके प्रशासनिक, कार्मिकों तथा अन्य लागतों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाए, जैसा कि इसे शासी परिषद द्वारा तय किया गया है । एन.सी.सी.डी की इस तरह संरचना की गई कि सरकार पर इसके संचालन और रखरखाव के लिए आगे कोई लागत का बोझ नहीं पड़ता है ।

जीएफआर के प्रावधान के अनुसार, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटीयों, जिनको रु 50.00 लाख और उससे अधिक एकमुश्त सहायता / गैर-आवर्ती अनुदान प्राप्त हुआ है, की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखे, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के अन्दर सदन के पटल पर रखे जाने चाहिए। इस प्रकार एनसीसीडी की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखे दिसंबर, 2018 तक संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने थे। हालाँकि, वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक रिपोर्ट 13.12.2017 को एनसीसीडी द्वारा विभाग को प्रस्तुत की गई थी।

एनसीसीडी के एम. ओ. ए. के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखों को एनसीसीडी की गवर्निंग काउंसिल के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। गवर्निंग काउंसिल ने

को अनुमोदित किया। तत्पश्चात वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखों का अनुवाद किया गया और मुद्रित किया गया जिसमें कुछ समय लगा।

इसलिए, सदन के पटल पर वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा रखने में देरी हुई है। कृपया विलम्ब के लिए क्षमा करें।